



उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्

संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ, अपर आमवाला देहरादून
संयुक्त प्रवेश परीक्षा-पालीटेकनिक (JEEP)-2018 काउंसिलिंग सूचना
काउंसिलिंग वेबसाइट <http://ukcounseling.nic.in>

शैक्षिक सत्र 2018-19 में निःशुल्क आनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से पालीटेकनिकों में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग सूचना

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रुड़की से सम्बद्ध उत्तराखण्ड राज्य में स्थित समस्त राजकीय/राजकीय महिला/सहायता प्राप्त एवं निजी प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षिक सत्र 2018-19 में प्रवेश हेतु आनलाईन काउंसिलिंग का आयोजन किया जा रहा है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा पालीटेकनिक-2018 (जीप-2018) में रैंक प्राप्त सभी अभ्यर्थी आन लाईन काउंसिलिंग में निम्नवत कार्यक्रम के अनुसार सम्मिलित हो सकते हैं।

निःशुल्क काउंसिलिंग कार्यक्रम

क्र० सं०	काउंसिलिंग के चरण	ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन एवं विकल्प भरने की तिथि	संस्थान/ब्रॉच आवंटन की तिथि	आवंटित संस्थान में रिपोर्ट, अभिलेखों की जाँच एवं प्रवेश की तिथि	अभ्युक्ति
1	प्रथम	दिनांक 20 जून 2018 से दिनांक 24 जून 2018 तक	27 जून 2018	दिनांक 28 जून 2018 से दिनांक 03 जुलाई 2018 तक	जीप-2018 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थी काउंसिलिंग हेतु पात्र हैं।
2	द्वितीय	दिनांक 05 जुलाई 2018 से दिनांक 07 जुलाई 2018 तक	10 जुलाई 2018	दिनांक 11 जुलाई 2018 से दिनांक 16 जुलाई 2018 तक	प्रथम चरण में प्रतिभाग न कर सके अभ्यर्थी एवं प्रथम चरण में आवंटित सीट को बदलने (upgradation) वाले अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं।
3	तृतीय	दिनांक 19 जुलाई 2018 से दिनांक 21 जुलाई 2018 तक	24 जुलाई 2018	दिनांक 25 जुलाई 2018 से दिनांक 30 जुलाई 2018 तक	प्रथम/द्वितीय चरण में प्रतिभाग न कर सके अभ्यर्थी एवं प्रथम/द्वितीय चरण में आवंटित सीट को बदलने (upgradation) वाले अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं।

आवश्यक निर्देश:-

- आनलाईन काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिये अभ्यर्थी को कोई काउंसिलिंग शुल्क (Counseling Fee) नहीं देना होगा।
- आनलाईन काउंसिलिंग से सम्बन्धित समस्त जानकारी काउंसिलिंग की वेबसाइट <http://ukcounseling.nic.in> पर उपलब्ध रहेगी। अतः अभ्यर्थी काउंसिलिंग में सम्मिलित होने से पूर्व समस्त प्रक्रिया का अध्ययन कर लें।
- जीप-2018 की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थी ऑन लाईन काउंसिलिंग हेतु पात्र हैं किन्तु ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी नहीं हैं एवं पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता उत्तराखण्ड से उत्तीर्ण नहीं हैं, काउंसिलिंग हेतु पात्र नहीं होंगे।
- आन लाईन काउंसिलिंग हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी काउंसिलिंग की वेबसाइट <http://ukcounseling.nic.in> में Login-ID/Password बनाकर रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूर्ण करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिये अभ्यर्थी को अनुक्रमांक, आवेदन पत्र संख्या एवं जन्मतिथि की जानकारी होनी अनिवार्य होगी।
- अभ्यर्थी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन एवं पासवर्ड बनाते समय अपना सम्पूर्ण विवरण (आरक्षण श्रेणी, उप श्रेणी, लिंग, उत्तराखण्ड डोमेसैडल इत्यादि) ध्यानपूर्वक चेक कर एवं आवश्यक संशोधन रजिस्ट्रेशन के समय ही कर लें। रजिस्ट्रेशन में अभ्यर्थी जो सूचना भरेगा, अभ्यर्थी के पास प्रवेश के समय सम्बन्धित प्रमाण पत्र होने अनिवार्य होंगे अन्यथा उसका आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
- आवंटन होने के उपरान्त प्रवेश के समय आवंटित संस्थान में अभ्यर्थी द्वारा उक्त पासवर्ड से ही आन लाईन रिपोर्टिंग की जायेगी।
- संस्थान, ब्रॉच आवंटन की जानकारी के लिए अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के दौरान वेबसाइट पर अपना Allotment Letter प्रिंट कर सकता है। इसकी जानकारी अभ्यर्थी को उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये मोबाईल न0 पर SMS के माध्यम से भी दी जायेगी।
- अभ्यर्थी आवंटित संस्थान में निर्धारित अंतिम तिथि तक समस्त आवश्यक मूल प्रमाण पत्र (जीप-2018 की विवरण पुस्तिका में दिये निर्देशों के अनुसार), समस्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति, 2 फोटो के साथ उपस्थित होंगे।
- किसी भी आरक्षण का लाभ लेने के लिये अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड स्थाई निवासी होना अनिवार्य होगा। जिसे प्रवेश के समय आवंटित संस्थान में जमा करना अनिवार्य होगा। अतः ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास उत्तराखण्ड स्थाई निवास का प्रमाण पत्र न हो एवं वे पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम अर्हता उत्तराखण्ड से उत्तीर्ण हों, आन लाईन रजिस्ट्रेशन के समय विशेष ध्यान रखें एवं सही जानकारी उपलब्ध करायें।
- अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण से सम्बन्धित समस्त प्रमाण पत्र उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने होंगे।
- यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के समय उपरोक्तानुसार आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो अभ्यर्थी का आवंटन स्वतः ही निरस्त कर दिया जायेगा और अगले चरण की काउंसिलिंग में उक्त सीट को रिक्ति के रूप में प्रदर्शित कर दिया जायेगा।
- प्रवेश में इच्छुक अभ्यर्थी आन लाईन काउंसिलिंग में इन्टरनेट के माध्यम से अपने घर/शहर/गाँव में कहीं से भी काउंसिलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं। परिषद् द्वारा राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त पालीटेकनिकों में भी इन्टरनेट की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है।
- शासनादेश सं0-348/XXIV(8)/10-26-10 दिनांक 19/1/2011 एवं यथासंशोधित शासनादेश सं0 647/XLI-1/12-26/10 दिनांक 20 जून 2012 के द्वारा राज्य के समस्त राजकीय एवं निजी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों में Tuition fee waiver scheme अनिवार्य रूप से लागू की गयी है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक संस्थान के प्रत्येक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी के लिये आरक्षित की गयी हैं, जिनके अभिभावकों की किसी भी स्रोत से वार्षिक आय ₹ 4.50 लाख से कम हो। ऐसे प्रवेशित अभ्यर्थियों से सम्पूर्ण पाठ्यक्रम हेतु शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा। अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश एवं उक्त शासनादेश वेबसाइट <http://ukcounseling.nic.in> से डाउनलोड कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी TFW उपश्रेणी में रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हें विकल्प भरते समय पाठ्यक्रम हेतु Normal एवं TFW दोनों प्रकार के विकल्पों को वरीयताक्रम में भरना अनिवार्य होगा।
- छात्र आन लाईन काउंसिलिंग से सम्बन्धित समय-समय पर जारी आवश्यक सूचनाओं एवं निर्देशों के लिए निरन्तर वेबसाइट <http://ukcounseling.nic.in> पर सम्पर्क करते रहें तथा काउंसिलिंग से एवं प्रवेश से सम्बन्धित किसी भी समस्या के समाधान के लिए परिषद् के काल सेन्टर नं0 7456962568 एवं 7456962578 पर काउंसिलिंग/प्रवेश तिथियों में प्रातः 10 बजे से 5 तक सम्पर्क कर सकते हैं अथवा काउंसिलिंग सम्बन्धी ईमेल : jeep.ubte@gmail.com पर किसी भी समय सम्पर्क कर समस्या का निराकरण करा सकते हैं।
- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन एवं प्रवेश हेतु इच्छुक संस्थान/ब्रॉच के विकल्प (Choices) भर सकते हैं एवं भरे गये विकल्पों का प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते हैं। विकल्प भरते समय अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि विकल्पों का चयन करते समय किसी के दबाव में विकल्पों को न भरें, विकल्पों के विषय में समस्त जानकारी प्राप्त होने पर ही विकल्प भरें। साथ ही Login-ID/Password को किसी के साथ साझा (Share) न करें। यदि आपके द्वारा Login-ID/Password को किसी के साथ साझा करने पर अभ्यर्थी के विकल्पों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी। उपलब्ध विकल्पों की विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://ukcounseling.nic.in> पर आनलाईन रजिस्ट्रेशन से पूर्व उपलब्ध होगी।
- ग्रुप-A (Lateral Entry) के माध्यम से द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग में सम्मिलित होने से पूर्व ग्रुप-A की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित समस्त रैंकधारी यह सुनिश्चित कर लें कि अभ्यर्थी जिस ब्रॉच में प्रवेश के इच्छुक हैं वे उससे सम्बन्धित आई0टी0आई0 ट्रेड में उत्तीर्ण हैं अथवा नहीं। इस संदर्भ में अभ्यर्थी काउंसिलिंग में विकल्प भरने से पूर्व जीप-2018 विवरण पुस्तिका का अवलोकन अवश्य कर लें अन्यथा विषम ब्रॉच में आवंटन होने के उपरान्त प्रवेश न मिलने की स्थिति में पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की ही होगी।